



उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, गिरिडीह।  
(जिला राजस्व शाखा)

ac-giridih@jharkhandmail.gov.in

पत्रांक 475 / रा0, गिरिडीह, दिनांक 05 / 03 / 2024

प्रेषक,

अपर समाहर्ता,  
गिरिडीह।

सेवा में,

अंचल अधिकारी,  
डुमरी।

विषय :-

बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जमाबंदी रद्द संबंधी अभिलेखों का प्रेषण।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि सरकार के मुख्य सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 2074/रा0 राँची, दिनांक 13.05.2016 एवं सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड राँची के संकल्प संख्या-6144/रा0 दिनांक 21.12.2017 के अनुरूप नियमानुसार जमाबंदी रद्द करने संबंधी स्पष्ट अनुशांसा नहीं रहने के कारण मूल अभिलेख वापस की जाती है :-

क्र०	अभिलेख सं० एवं वर्ष	पक्षकार	पता	अभ्युक्ति
01	167/2017-18	राज्य बनाम अनपा कुम्हार, पिता वुटना कुम्हार	साकिन चेंगडो, डुमरी	
02	82/2017-18	राज्य बनाम ठाकुर महतो, रती महतो, पिता झरी महतो	साकिन मधवाडीह, डुमरी	
03	219/2017-18	राज्य बनाम जटा महतो, पिता जेतु महतो	साकिन लक्ष्मणटुण्डा, डुमरी	
04	140/2017-18	राज्य एवं अब्दुल बारिक, पिता युसुफ अंसारी वगैरे बनाम मुमताज अंसारी पिता बसीरुद्दीन अंसारी	साकिन डुमररचुटियो, थाना निमियाघाट, डुमरी	

अनुलग्नक :- 04 (चार) मूल अभिलेख।

विश्वासभाजन

05.03.2024  
अपर समाहर्ता,

गिरिडीह।

प्रतिलिपि :- ज्ञापांक 475 / रा0 गिरिडीह, दिनांक 05 / 03 / 2024  
भूमि सुधार उप समाहर्ता, डुमरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05.03.2024  
अपर समाहर्ता,

गिरिडीह।

05.3.24